

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)  
प्रकरण संख्या 104/2022

उनवान

1. उदी पुत्र श्री रूपा नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. कालु पुत्र रूपा गाडरी नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. नन्दलाल पुत्र रूपा गाडरी नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. नारु पुत्र रूपा गाडरी नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. बशी पुत्र रूपा गाडरी नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. भोना उर्फ भवाना पुत्र दल्ला गाडरी नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

बनाम

1. मंगीलाल पुत्र भैरूलाल तेली नि० मंगरोप की झोपडिया तह० हमीरगढ ।
2. भगवान पुत्र मकराम रेवारी नि० दर्री, मंगरोप की झोपडिया तह० हमीरगढ ।
3. प्रद्युम्न सिंह पुत्र रघुराम सिंह उर्फ रोविन सिंह राजपुत नि० मंगरोप ।
4. कासी पुत्र भैरूलाल गाडरी नि० मंगरोप की झोपडियां तह० हमीरगढ ।
5. गणेश पुत्र भैरूलाल गाडरी नि० मंगरोप की झोपडियां तह० हमीरगढ ।
6. बगदु पुत्र खेमा गाडरी नि० मंगरोप की झोपडियां तह० हमीरगढ ।
7. अर्जुन उर्फ उर्जन पुत्र गिरधारी रेवारी नि० दर्री मंगरोप तह० हमीरगढ ।
8. कैलाशचन्द्र पुत्र हजारी गाडरी नि० मंगरोप की झोपडिया तह० हमीरगढ ।
9. मोहन पुत्र गोकल गाडरी नि० मंगरोप की झोपडिया तह० हमीरगढ ।
10. उदयलाल पुत्र भैरूलाल धोवी नि० मंगरोप की झोपडिया तह० हमीरगढ ।
11. मोहनलाल पुत्र भैरूलाल गाडरी नि० दर्री, मंगरोप की झोपडिया तह० हमीरगढ ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 23.11.2022

—अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23.06.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप भू०अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 390 की कृषि भूमि की आ०न० 1144 रकबा 1.1254है०, कुल किता 01 रकबा 1.1254है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.06.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 एवं 11 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ प्रथम भू०अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1402 की कृषि भूमि की आ०न० 3316 रकबा 0.2023है०, आ०न० 3318 रकबा 0.2655है०, आ०न० 3322 रकबा 0.1391है०, आ०न० 3323/2 रकबा 0.2529है० कुल किता 04 रकबा 0.8598है०। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/-रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करे।

आदेश आज दिनांक 23.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)

